राजस्थान – सरकार

प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, राज0 जोधपुर

तकनीकी संस्थानों (पॉलिटेक्निक) मे अध्ययनरत विद्यार्थियों के स्थानान्तरण हेतु नीतिगत् दिशा–निर्देश

ब्रांच स्थानान्तरण

(क) जो विद्यार्थी ब्रांच परिवर्तन करवाते हैं, उनका अन्य पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में स्थानान्तरण नहीं किया जावेगा।

(ख) द्वितीय वर्ष सेमेस्टर के प्रारम्भ में एक ही पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में उसी संस्थान (राजकीय एवं निजी) में उपलब्ध शाखा में अन्तर ब्रांच स्थानातरण प्रधानाचार्य द्वारा प्रथम वर्ष के परीक्षा परिणाम घोषित होने के पश्चात् किये जावेंगे। ये ब्रांच स्थानान्तरण निदेशक, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय द्वारा अनुमोदित होने पर ही अन्तिम रूप से मान्य होंगे।

(ग) ब्रांच स्थानान्तरण योग्यता के आधार पर होगा। योग्यता सूची अभ्यार्थी द्वारा प्रथम वर्ष के कुल प्राप्तांकों के आधार पर आधारित होंगी तथा केवल वही छात्र/छात्राऐं ब्रांच के स्थानान्तरण हेतु योग्य माने जायेंगे जिन्होने प्रथम वर्ष की परीक्षा में सभी विषय उत्तीण किये हों। योग्यता सूची वर्गवार तैयार की जायेगी तथा स्थान जिस वर्ग में रिक्त हुआ है उसी वर्ग के अभ्यर्थी से भरा जायेगा।

(घ) उक्त ब्रांच स्थानान्तरण निम्न परिस्थितियों में ही संभव होगे –

(1) वांछित ब्रांच जिसमें से स्थानान्तरण चाहा गया है, उस संस्थान में उस ब्रांच की स्वीकृत प्रवेश क्षमता से रिक्त रहे स्थानों पर स्थानान्तरण संभव होंगे।

(2) जिस ब्रांच से स्थानान्तरण चाहा गया है, उसमें स्थानान्तरण पूर्व अथवा बाद में विद्यार्थी की संख्या स्वीकृत प्रवेश क्षमता से 2/3 से कम नहीं होने पर, स्थानान्तरण संभव होंगे।

(ङ) **पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों में संचालित नॉन इंजिनियरिंग डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के प्रथम वर्ष की पाठ्यचर्या भिन्न होने के कारण ब्रांच परिवर्तन नहीं होंगे।**

एक संस्था से दूसरी संस्था में उसी शाखा में स्थानान्तरण

(क) एक पॉलिटेक्निक महाविद्यालय से दूसरे पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में स्थानान्तरण द्वितीय वर्ष अथवा तीसरे वर्ष /(पंचम टर्म) के प्रारम्भ में ही संभव होंगे। किसी भी सत्र के मध्य में स्थानान्तरण नहीं किये जायेंगे।

(ख) निजी संस्थाओं के विद्यार्थियों एवं स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों में प्रवेशित विद्यार्थियों का अन्य किसी पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में स्थानान्तरण संभव नहीं होगा, परन्तु विद्या भवन पॉलिटेक्निक, उदयपुर के राज्य पोषित ब्रांचों के विद्यार्थियों का स्थानान्तरण राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में सभव होगा।

(ग) सहशिक्षा / महिला पॉलिटेक्निक में एक पॉलिटेक्निक महाविद्यालय से दूसरे पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में स्थानान्तरण निम्नांकित वरीयता क्रम में किये जावेंगे :

(1) छात्राऐं (हॉस्टल सुविधा उपलब्ध न होने की स्थिति में)
(2) विकलांग
(3) विशिष्ट परिस्थितियों के अन्तर्गत छात्र
(4) अन्य अभ्यर्थी

(घ) संस्था स्थानान्तरण निम्न परिस्थितियों में ही संभव होंगे :

(1) जिस पॉलिटेक्निक की जिस ब्रांच में स्थानान्तरण चाहा गया है उसमें विद्यार्थियों की संख्या, प्रथम वर्ष में स्वीकृत प्रवेश क्षमता से अधिक नहीं होगी एवं

(2) जिस पॉलिटेक्निक की जिस ब्रांच से स्थानान्तरण चाहा गया है उसमें स्थानान्तरण के पूर्व एवं स्थानान्तरण के उपरान्त विद्यार्थियों की संख्या प्रवेश क्षमता से 2/3 से कम नहीं होगी।

(ड़) एक पॉलिटेक्निक से दूसरे पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में स्थानान्तरण के आदेश निदेशालय, प्राविधिक शिक्षा, जोधपुर द्वारा किये जायेंगे।

(च) स्थानान्तरण हेतु इच्छुक छात्र, छात्राऐं निर्धारित प्रपत्र में प्रार्थना पत्र निर्धारित तिथि तक संबंधित पॉलिटेक्निक के प्रधानाचार्य को प्रस्तुत करेंगे। निर्धारित तिथि के उपरान्त प्राप्त प्रार्थना पत्रों पर विचार करना संभव नहीं होगा।

राजस्थान सरकार

प्राविधिक शिक्षा निदेशालय राजस्थान, जोधपुर।

क्रमांक : एफ 5(3)/प्राशिनि/ई–2/2011–12/15562-739 दिनांक: 18/10/11

प्रधानाचार्य

....

....

विषयः प्रथम वर्ष 2011–2012 में उत्तीर्ण विधार्थियों के शाखा परिवर्तन के संबंध में।

महोदय,

विषयान्तर्गत आपकी संस्थान में अध्ययनरत प्रथम वर्ष के उत्तीर्ण छात्र/छात्राओं के शाखा परिवर्तन के संबंध में राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देश जो विभाग की वेबसाईट http://dte.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है, का अवलोकन करने के पश्चात् ही तदनुरूप शाखा परिवर्तन की कार्यवाही की जावें।

शाखा परिवर्तन के इच्छुक छात्र/छात्राओं से आवेदन पत्र आमंत्रित कर, संस्था स्तर पर एक समिति बनाकर नियमानुसार शाखा परिवर्तन के आदेश जारी करें तथा इन आदेशों को निदेशालय द्वारा अनुमोदन हेतु दिनांक 09.11.2011 से पूर्व प्रस्तुत करें। शाखा परिवर्तन के प्रस्ताव निदेशालय को अनुमोदनार्थ प्रेषित करते समय संलग्न निर्धारित प्रारूप में ही भिजवाया जाना अनिवार्य है। अन्यथा इन प्रस्तावों पर निदेशालय द्वारा विचार नहीं किया जायेगा।

शाखा परिवर्तन योग्यता के आधार पर होगा। योग्यता सूची अभ्यार्थी द्वारा प्रथम वर्ष के कुल प्राप्तांको के आधार पर आधारित होंगी तथा केवल वही छात्र/छात्राऐं शाखा परिवर्तन हेतु योग्य माने जायेंगे जिन्होने प्रथम वर्ष की परीक्षा में सभी विषय उत्तीण किये हों। योग्यता सूची वर्गवार तैयार की जायेगी तथा स्थान जिस वर्ग में रिक्त हुआ है उसी वर्ग के अभ्यर्थी से भरा जायेगा।

आवेदन करने वाले विद्यार्थियों को भली–भॉति उचित माध्यम से यह अवगत करवाया जावें कि एक बार शाखा परिवर्तन के आदेश जारी होने के पश्चात उन्हें निरस्त नहीं किया जायेगा। संस्था स्तर पर किया गया शाखा परिवर्तन निदेशालय से अनुमोदन होने के पश्चात् ही मान्य होगा।

भवदीय,

निदेशक, प्राविधिक शिक्षा,

क्रमांक : एफ 5(3)/प्राशिनि/ई–2/2011–12/ दिनांकः

प्रतिलिपिः–निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः

1. विशेषाधिकारी, तकनीकी शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर ।
2. संयुक्त निदेशक, प्राविधिक शिक्षा मण्डल, जोधपुर।
3. प्रोग्रामर, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि उक्त पत्र विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करें, साथ ही समस्त राजकीय/निजी पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों को ई–मेल भी करें।

संयुक्त निदेशक, प्राविधिक शिक्षा

C:\Users\admin\Desktop\Addmission 2011-12.doc

प्रारूप

सत्र 2011–12 हेतु शाखा परिवर्तन

पॉलिटेक्निक महाविद्यालय का नाम : ....

सत्र 2011–12 हेतु शाखा परिवर्तनों का विवरण

क्र.सं.	वर्तमान शाखा का नाम	अभ्यर्थी का नाम	एस.पी.एन.	परिवर्तित शाखा का नाम
		1		
		2		
		3		
		1		
		2		
		3		
		1		
		2		
		3		

शाखा परिवर्तन के पश्चात् शाखावार विद्यार्थियों की स्थिति

क्र. सं.	कक्षा / शाखा	प्रवेश क्षमता	शाखा परिवर्तन से पूर्व पंजीकृत विद्यार्थियों की संख्या	शाखा परिवर्तन के पश्चात् विद्यार्थियों की संख्या

सभी आवेदन पत्रों की जांच कर ली गई है तथा द्वितीय वर्ष में शाखा परिवर्तन चाहने वाले विद्यार्थी प्रथम वर्ष की परीक्षा में सभी विषयों में उत्तीर्ण है। शाखा परिवर्तन नियमानुसार किया गया है।

हस्ताक्षर
समिति सदस्य

हस्ताक्षर
समिति सदस्य

हस्ताक्षर
समिति अध्यक्ष

उक्त शाखा परिवर्तन निदेशालय को अनुमोदनार्थ प्रेषित हैं।

प्रधानाचार्य

URGENT

राजस्थान–सरकार

प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, राजस्थान, जोधपुर।

क्रमांकः–एफ–5(3) / प्राशिनि / ई–2 / दिनांकः–

प्रधानाचार्य,

समस्त राजकीय सह शिक्षा / महिला पॉलिटेक्निक
समस्त निजि पॉलिटेक्निक

विषयः **प्रथम वर्ष 2012–2013 में उत्तीर्ण विद्यार्थियों के शाखा परिवर्तन के सम्बन्ध में।**

महोदय,

विषयान्तर्गत आपकी संस्थान में अध्ययनरत प्रथम वर्ष के उत्तीर्ण छात्र / छात्राओं के शाखा परिवर्तन के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा–निर्देश जो विभाग की वेबसाईट http://dte.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है, का अवलोकन करने के पश्चात् ही तदनुरूप शाखा परिवर्तन की कार्यवाही की जावें।

शाखा परिवर्तन के इच्छुक छात्र / छात्राओं से आवेदन पत्र आमंत्रित कर, संस्था स्तर पर एक समिति का गठन कर नियमानुसार शाखा परिवर्तन के आदेश जारी करें। इन आदेशों को निदेशालय द्वारा निर्धारित तिथि तक अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करें। शाखा परिवर्तन के प्रस्ताव निदेशालय को अनुमोदनार्थ प्रेषित करते समय संलग्न निर्धारित प्रारूप में ही भिजवाया जाना अनिवार्य है अन्यथा इन प्रस्तावों पर निदेशालय द्वारा विचार नहीं किया जायेगा।

शाखा परिवर्तन योग्यता के आधार पर होगा। योग्यता सूची अभ्यर्थी द्वारा प्रथम वर्ष के कुल प्राप्तांकों के आधार पर होगी तथा केवल वही छात्र / छात्राऐं शाखा परिवर्तन हेतु योग्य माने जायेंगे जिन्होने प्रथम वर्ष की परीक्षा में सभी विषय उत्तीर्ण किये हो। योग्यता सूची वर्गवार तैयार की जायेगी तथा जिस वर्ग का स्थान रिक्त हुआ है उसी वर्ग के अभ्यर्थी से भरा जायेगा।

आवेदन करने वाले विद्यार्थियों को भली–भॉति यह अवगत करवाया जाये कि एक बार शाखा परिवर्तन के आदेश जारी होने के पश्चात् उसे निरस्त नहीं किया जायेगा। **ध्यान रहे कि संस्था स्तर पर किया गया शाखा परिवर्तन निदेशालय से अनुमोदन होने के पश्चात् ही मान्य होगा।**

शाखा परिवर्तन हेतु आवश्यक निर्देशः

1. **निर्धारित तिथि तक ही शाखा परिवर्तन के प्रस्ताव अनुमोदित किये जायेंगे।**
2. शाखावार शाखा परिवर्तन के इच्छुक छात्रों की मेरिट के अनुसार लिस्ट तैयार कर निदेशालय को प्रेषित करना अनिवार्य है।
   (उपरोक्त सूची के समस्त आवेदित छात्र / छात्राओं का नाम , पिता का नाम, शाखा का नाम, एस.पी. एन.नम्बर तथा प्रथम वर्ष में प्राप्तांक का विवरण होना आवश्यक है)।
3. प्रत्येक छात्र / छात्राओं की अंकतालिका (छायाप्रति अथवा प्राविधिक शिक्षा मण्ड़ल की वेबसाईट से डाऊनलोड की गई अंकतालिका) संलग्न करना आवश्यक होगा।
4. शाखा परिवर्तन के पूर्व व पश्चात् की स्थिति **निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।**
5. संस्थान स्तर पर एक उच्च स्तरीय कमेटी द्वारा इस कार्य को सम्पादित किया जायेगा।
6. निर्धारित तिथि तक अनुमोदन हेतु **प्रस्ताव (हस्ताक्षरित)** E-Mail/Fax से प्रस्तुत किये जाने पर भी मान्य होंगे।
7. निर्धारित तिथि पश्चात् प्रेषित प्रस्ताव अनुमोदित नहीं किये जाने पर, यदि न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया जाता है तो इस हेतु संस्थान स्वयं जिम्मेवार होगी।
8. विद्यार्थी द्वारा प्रथम वर्ष में सभी विषय **उत्तीर्ण होना आवश्यक है।**
9. **निदेशालय द्वारा अनुमोदन के बिना शाखा परिवर्तन मान्य नही होगा।**

भवदीय,

सही/–

निदेशक, प्राविधिक शिक्षा

क्रमांकः–एफ–5(3) / प्राशिनि / ई–2 / 6903-905 दिनांकः–19/6/12

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

01. संयुक्त सचिव, तकनीकी शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
02. संयुक्त निदेशक एवं सचिव, प्राविधिक शिक्षा मण्डल, राजस्थान, जोधपुर।